-YSR/VKK-SCH/1W/3.00

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY (CONTD.): Sir, I am concluding. I would like to make only one point from the Bill as to why this Bill is not important at all. If bamboo is cultivated in the land other than forest, it is all right. But, by this Bill, if the Government takes away bamboo from the definition of trees and if it is not forest produce, in that case, we are going to convert forest activity into a non-forest activity. This is my point. An exemption is sought for the bamboo grown in the forest area because you are amending the definition of trees under the Forest Act. If this amendment is passed, no permit would be required for felling and transporting bamboo, which is required for a forest produce. Therefore, the Government must have a relook at the Bill and withdraw this Bill in the interests of the forest community and the farmers as a whole.

(Ends)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Dilip Kumar Tirkey. Your time is four minutes.

श्री दिलीप कुमार तिर्की (ओडिशा) : सर, मैं और मेरी पार्टी इस विधेयक का विरोध करते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों और मेरे राज्य ओडिशा में कागज उत्पादन में बांस का इस्तेमाल किया जाता है। जिन राज्यों में बांस उत्पादन नहीं होता है, वहां हमारे राज्य से

बांस जाता है, पर इसके लिए राज्य सरकार की इजाज़त लेनी होती है, लेकिन इस संशोधन के बाद अब यह अनुमति नहीं लेनी होगी। मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि यह प्रावधान करके आप किसके हितों का संरक्षण करने जा रहे हैं, व्यापारियों का या राज्य सरकारों का?

महोदय, ओडिशा में 14,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में बांस उगाया जाता है। गांव के लोग कच्चा घर बनाने में बांस का इस्तेमाल करते हैं और छोटे-छोटे पुल भी बांसों से ही बनाए जाते हैं। बांसों की कटाई और उन्हें कहीं लाने या ले जाने के लिए इजाज़त देकर आप गरीबों, किसानों और वनवासियों का भला नहीं कर रहे हैं। मुझे डर है कि इससे बांसों की जो अंधाधुंध कटाई होगी, फिर उसके संरक्षण के लिए आपको अलग से एक नया विधेयक लाना होगा।

महोदय, वनों या जंगलों के लिए सभी राज्यों के अपने कानून बने हुए हैं। हमारे ओडिशा राज्य में भी वन सुरक्षा समितियां हैं, जो वनों का संरक्षण करती हैं। वन उत्पादों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ग्राम सभाओं की अनुमति की जरूरत होती है। मेरे ख्याल में इस संशोधन के जरिए व्यापारियों को ज्यादा फायदा होगा। इससे आप राज्य सरकारों के साथ-साथ ग्राम सभाओं और वन सुरक्षा समितियों के अधिकारों में भी कटौती कर रहे हैं। हमें ग्राम सभाओं को और मज़बूत करने की जरूरत है, उनके अधिकारों में कटौती करने की नहीं।

महोदय, इसके अलावा मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि आपको ऑर्डिनेंस लाने की क्या जल्दी थी? Winter Session के ठीक पहले, 23 नवम्बर को

यह ऑर्डिनेंस लाने में आपकी क्या मजबूरी थी? आप Winter Session का इंतज़ार भी कर सकते थे।

महोदय, मुझे लगता है कि यह संशोधन करके सरकार निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। क्या privatization से ही किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है? क्या privatization ही सभी समस्याओं का हल है?

महोदय, गरीबों और आदिवासियों के जीवन में बांस की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

(1x-vnk पर जारी)

VNK-RSS/1X/3.05

श्री दिलीप कुमार तिर्की (क्रमागत) : आप इस संशोधन के जरिए आदिवासियों का कतई भला नहीं कर सकते हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: All right. Your time is over.

श्री दिलीप कुमार तिर्की : सर, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूँ। इस विधेयक में कहा गया है कि इसके प्रावधान गैर-वन क्षेत्रों में उगाए गए बांस पर ही लागू होंगे, परंतु मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि बांसों से लदी हुई गाड़ी जब फॉरेस्ट चेक गेट से गुजरेगी, तब फॉरेस्ट गार्ड को कैसे पता चलेगा कि जो बांस लदा हुआ है, वह फॉरेस्ट लैण्ड का है या गैर-फॉरेस्ट लैण्ड का है?

मैं यह अपील करना चाहूंगा कि सरकार हमारे फेडरल ढांचे को कमजोर न करे। हम ग्राम सभाओं और वन सुरक्षा समितियों को और अधिकार दें, उन्हें मजबूत

करें।...(समय की घंटी)... चूंकि हमारे जंगलों की हिफाज़त ग्राम सभाओं और वन समितियों के जरिए बेहतर तरीके से की जा सकती है, इसलिए वह करें।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay; all right.

श्री दिलीप कुमार तिर्की : महोदय, मैं अंत में एक बात कहना चाहूंगा कि इस तरीके से विधेयक लाने से पहले आपको राज्य सरकारों की राय जरूर लेनी चाहिए, धन्यवाद।

(समाप्त)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. Now, Shri Harivansh. You have four minutes only.

श्री हरिवंश (बिहार) : उपसभापति जी, माननीय मंत्री जी और माननीय पूर्व मंत्री, आदरणीय जयराम रमेश जी की बातें हम सबने सुनीं। मैं भी सिर्फ चार मुद्दे इस बिल के पक्ष में आपसे माध्यम से रखना चाहता हूँ। मेरी दृष्टि में यह कानून लाइसेंस कोटा परमिट राज की legacy पर प्रहार है। हम सब ग्राम सभाओं के पक्षधर हैं, पर सारे कानूनों के रहते हुए हमारे देश के जंगल कैसे खाली हो गए, खत्म हो गए? अगर समय होता, तो मैं इसके बारे में विस्तार से बताता। दरअसल यह कानून, जिन गरीबों की चीज अपनी है, उन्हें वह चीज देने का अधिकार सुनिश्चित करता है। जो गरीब आज तक इस कानून से बंधक थे, वे इस कानून से मुक्त होंगे और वे अपनी चीज बिना किसी कानूनी बंधन के इस्तेमाल कर सकेंगे, यह अवसर यह कानून देता है।

दूसरी चीज यह है कि इससे यह अवसर मिलता है कि नॉन-फॉरेस्ट एरिया में भी बांस का उत्पादन बढ़े। इस देश में बड़े पैमाने में waste land है और सरकारी आंकड़ों

के अनुसार लगभग सवा करोड़ हैक्टेयर जमीन waste land है, जो बंजर धरती कही जाती है। उस बंजर धरती पर कुछ होता नहीं है, इससे एक संभावना बनती है कि इस पर बांस की खेती होगी। इस तरह के जो degraded land हैं, इन पर लोग बांस लगाने के लिए प्रोत्साहित होंगे और इससे देश में बांस का उत्पादन बढ़ेगा।

तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा, जिसके कारण इसके पक्ष में हम सब खड़े हैं, मैं खड़ा हूँ कि आज इस देश को बांस की जितनी जरूरत है, उसका आधा ही हमारे पास उपलब्ध है यानी देश को बांस की मौजूदा जरूरत 2.8 करोड़ यानी तीन करोड़ टन है, लेकिन इसका आधा ही हमारे देश में उपलब्ध है, बाकी बांस हम दुनिया के दूसरे बाजार से लाते हैं। बांस दुनिया की जितनी जमीन पर पैदा होता है, उसकी लगभग 19 फीसदी जमीन भारत में है, पर दुनिया के बाजार में हमारा मार्केट शेयर सिर्फ 6 फीसदी है। मुझे उम्मीद है कि इस कानून के संशोधन से हमारी स्थिति दुनिया के बाजार में मजबूत होगी।

चौथी और महत्वपूर्ण चीज यह है कि भारत का पैसा भारत के पास ही इस संदर्भ में रहेगा कि 2015 में भारत ने 18.01 मिलियन क्यूबिक मीटर टिंबर व अन्य चीजों को इम्पोर्ट किया, जिसकी कीमत 43 हजार करोड़ रुपए है। उम्मीद है कि इस कानून के पास होने से हम बांस का उत्पादन बढ़ाएंगे तथा इससे जुड़ी और चीजों का उत्पादन यहां बढ़ेगा, तो इससे इम्पोर्ट बिल में कमी आएगी। इसी तरह United Nation's International Development Organisation के अनुसार नॉर्थ-ईस्ट में अगले दस वर्षों में 5 हजार करोड़ रुपए का bamboo business है। अब वहां अगर लोग, किसान अच्छी

तरह से इसकी खेती करते हैं, तो लाइसेंस कोटा परमिट राज का जो बंधन था कि अपना बांस अपने खेत में काटे और कानून उनको रोके, परमिट के अनुसार वह उसे इधर-उधर न ले जाए, लेकिन इससे बांस की ढुलाई और आवाजाही बेरोकटोक होगी। इससे देश में बांस के उत्पादन के बढ़ने की प्रबल संभावना बनती है और जो दो करोड़ लोग आज बांस के उत्पादन में लगे हैं, इससे एक बड़े मार्केट के खड़े होने की संभावना बनती है, इस कारण से हम लोग इसके पक्ष में हैं, धन्यवाद।

(समाप्त)

(1वाई/केजीजी-एनकेआर पर आगे)

KGG-NKR/1Y/3.10

SHRIMATI JHARNA DAS BAIDYA (TRIPURA): Sir, irst of all, I oppose the Indian Forests (Amendment) Bill, 2017. This is mainly to exclude 'bamboos' from the definition of 'trees' in the Indian Forest Act, 1927. In the North-East Indian States bamboos grow abundantly in the forests and plains. There are many restrictions in cutting trees from forests. So, many people are growing bamboos in their private land for commercial purposes. Now bamboo is considered a tree as per the Forest Act. So, there are a lot of restrictions in transporting bamboos within a State and between States. Once bamboo is removed from definition of

'trees' in the Forest Act, bamboo-growers can freely take it to any part of the country. This will help them to get a good price for bamboos. Bamboos are raw material for producing pulp, paper, rayon, etc. Since Tripura is a backward State and has a good reserve of bamboos, I request the Central Government to establish a pulp and paper mill. This will help the State to get industrialized because a large number of ancillary industries will be started when pulp and paper are being produced. Also a large number of handicraft articles can be purchased which will create a lot of jobs for both young men and women of my State and neighbouring States.

Sir, a lot of criticism has been raised and the Minister has to reply to all of them; I don't want to repeat them. Only after that, the Bill can be passed. Thank you, Sir.

(Ends)

श्री अशोक सिद्धार्थ (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभापति महोदय, समय देने के लिए आपका धन्यवाद। मुझसे पहले मेरे बायीं तरफ, दायीं तरफ और बीच में बैठे माननीय सदस्यों ने इस विधेयक पर अपने विचार रखने का काम किया, मैं भी आपके माध्यम से कुछ सुझाव सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं।

देश का हर नागरिक चाहता है कि हमारा अन्नदाता किसान तरक्की करे, विकास के रास्ते पर चले और इसकी आवश्यकता भी है। जहां तक देश में बांस की खेती को प्रोत्साहन देने का प्रश्न है, इस बिल में बांस के किसानों को प्रोत्साहन देने की बात कही गई है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जिस तरह आज देश में भू माफिया, वन माफिया, शिक्षा माफिया, स्वास्थ्य माफिया और जल माफिया आदि तमाम माफियाओं के माध्यम से इस देश के पूंजीपति और उद्योगपति देश के किसानों के उत्पाद का लाभ ले रहे हैं, माननीय मंत्री जी ने कहा कि 2022 तक इसमें दोगुनी वृद्धि होगी, लेकिन जहां इस देश के अन्नदाता किसानों पर सरकारों के द्वारा गोलियां चलाई जाती हैं, आपने उन्हें उपज का डेढ़ गुना मूल्य देने का जो वादा किया था, आज लगभग साढ़े तीन साल इस सरकार को होने जा रहे हैं, उसे आज तक पूरा नहीं किया गया है। मैं उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद से आता हूं। वहां किसानों को आलू की प्रति एकड़ खेती करने में लगभग 35,000 रु. लागत आती है, जबकि केवल 20,000 रु. से लेकर 25,000 रु. तक का उसका आलू बिकता है, चाहे कानपुर मंडल हो या आगरा मंडल हो, जहां देश में सबसे ज्यादा आलू होता है।

(1Z/DS द्वारा जारी)

SSS-DS/3.15/1Z

श्री अशोक सिद्धार्थ (क्रमागत) : इस माध्यम से भी इसकी क्या गारंटी है कि बैम्बू के किसान, चाहे वे पूर्वोत्तर राज्य के हों या छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के हों अथवा उत्तर

भारत के क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी किसान हों, दलित किसान हों या पिछड़े वर्ग के किसान हों, उनको पूँजीपतियों एवं उद्योगपतियों से छुटकारा मिलेगा?

मैं माननीय मंत्री जी से बस दो बातें पूछना चाहता हूँ। क्या सरकार इस बिल के माध्यम से बैम्बू के उत्पादन का डेढ़ गुना मूल्य देने का काम करेगी? जैसा कि मैं जानता हूँ कि बैम्बू की खेती तीन से पाँच वर्ष में तैयार होती है, तो जो छोटे किसान हैं, वे तीन से पाँच वर्ष तक अपना परिवार कैसे पालेंगे? क्या उनको आर्थिक सब्सिडी या आर्थिक सहयोग देने की कोई व्यवस्था की गई है? पूरे देश में किसान के नाम पर मात्र 10 करोड़ से ज्यादा लोग नहीं हैं। बाकी के या तो बटाईदार हैं या दिहाड़ी मजदूर हैं। इसलिए माननीय ...(समय की घंटी)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your time is over. I am helpless.

श्री अशोक सिद्धार्थ : थैंक यू, सर।

(समाप्त)

SHRI D. RAJA (TAMIL NADU): Sir, I rise to oppose this Bill. I think, there was no need for this Ordinance. The Government should not have resorted to Ordinance route on this issue. Sir, it was very heartening to listen to my good friend, Shri Jairam Ramesh, speaking against the loot of forest wealth by private industries. Sir, bamboo is actually a kind of grass and the Minister, Dr. Harsh Vardhan, is quite aware of this. Bamboo is actually a kind of grass. During British rule, bamboo was classified as a tree in the

Forest Law. This allowed the Forest Department to control cutting, selling and transporting of bamboos. Britishers, in fact, made huge revenues on this. Sir, in the Forest Rights Act, 2006, which was referred to by my good friend, Shri Jairam Ramesh, bamboo has been included as a minor forest produce. So, people have their rights over it. However, the Indian Forest Act was not amended. The forest officials have continued to illegally, I use the word 'illegally', stop people from harvesting and selling bamboo on forest lands. The only place this was stopped is Maharashtra, which was again referred to by my friend Shri Jairam Ramesh. There was the Governor's order under which bamboo was removed from the 'tree' category in the Fifth Schedule areas. Using this, some villagers in Gadchiroli , that was again referred to by Jairam Ramesh, began to harvest and sell bamboo using their own laws. They earned crores of money which was used for their developmental activities. This Government also talks about development all the time. Actually, the money which they earned was used for the development activities in those areas. This shows how much money has been looted from the *Adivasis* and forest dwellers by the Forest Department. I am naming the Forest Department. They looted the money which actually belonged to the tribal people. (Contd. by NBR/2A)

-SSS/NBR-MCM/2A/3.20

SHRI D. RAJA (CONTD.): Against this background, now, the new Bill only says that bamboo outside forest will not be considered as 'tree.' It means what? Are you trying to benefit the private land owners? It means, you want to help paper companies. It means, you want to help private industries. And, they would be benefiting, looting and making huge revenues. On the other hand, tribal people and forest dwellers deprived of their rights and access to forest wealth! Is it proper? This is what I want to ask the Government. Is it right to do this? Is it right to deprive the rights of tribal people and forest dwellers and trying to help private industries? And, in order to do this, you have brought an Ordinance! That is why I strongly oppose this Bill. This Bill is not in the interest of tribal people. This Bill is not in the interest of forest dwellers. If at all it benefits anybody, it benefits private industries and companies. Is it your objective? Is it your intention? If that is the objective of this Government, let it be cleared. Sir, why do you speak, '*Sabka-Saath-Sabka-Vikas*'? You are for private companies and private industries and you say, '*Sabka-Saath-Sabka-Vikas*'! Why do you deceive people?

श्री उपसभापति : 'सब' में पूरे आदमी हैं। 'सब' में इण्डस्ट्रियलिस्ट्स भी हैं, पूरे लोग हैं, सभी लोग हैं।

SHRI D. RAJA: Now, '*Sabka-Saath-Sabka-Vikas'* has become '*corporate-houses-ke-saath-private-industries-ke-saath'*. It is not for all. That is why this Bill needs to be deferred. The Government should rework on this Bill, have broader consultations keeping in view the interest of the country, tribal people and forest dwellers. That is why I oppose this Bill. Thank you.

(Ends)

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री प्रकाश जावडेकर) : महोदय, मैं केवल तीन-चार मिनट में दो ही मुद्दे रखना चाहता हूं। अपने ही देश में जंगल बढ़ना चाहिए, यह सब की इच्छा है और जंगल में जो बसते हैं ट्राइबल्स भी हैं, नॉन ट्राइबल्स भी हैं, वनवासी हैं, उनको संरक्षण भी मिलना चाहिए, उनको आजीविका भी मिलनी चाहिए, लाइवलिहुड भी मिलना चाहिए, यह भी सब की राय है। हो क्यों नहीं रहा है, अगर कुछ हो नहीं रहा है तो....(व्यवधान).... मेरा इंटरवेंशन है।....(व्यवधान).... It is my intervention as a Member of this House.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I allowed him.

श्री प्रकाश जावडेकर : सो क्यों नहीं होता है, हमारी फॉरेस्ट की ग्रोथ रुक गई क्योंकि किसान पेड़ लगाने से डरने लगा, क्योंकि चन्दन का मैं एक उदाहरण बता रहा

हूं।....(व्यवधान).....एक मिनट। चन्दन का पेड़ भारत की पैदाइश है, भारत की विशेषता है। हमने नियमों के ऐसे बंधन कर दिए....(व्यवधान).....

SHRI D. RAJA: It is sandalwood.

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: It is both, red sanders and sandalwood. So, what has happened is, farmers stopped growing this. Therefore, now, Australia has become the major manufacturer of sandalwood and sandal products. And, in fact, we are importing! So, this is how we are not allowing forest to grow. This the example. कंट्रोल करने की भावना से जो करते हैं, किसान पेड़ तभी लगाएगा, जब वह बेच सकेगा, किसान तभी पेड़ लगाएगा, जब वह ट्रांसपोर्ट कर सकेगा और यह व्यवस्था हो सकती है कि जंगल के वृक्षों को बड़ी कड़ाई से संभालना चाहिए, लेकिन क्या जंगल के बाहर जंगल नहीं होना चाहिए? प्राइवेट जंगल होना चाहिए और वह नहीं होता है, मेरा एक ही आग्रह है सभी सदस्यों से कि जंगल बनाने के रास्ते में हम ऐसे कंट्रोल की मानसिकता को, जिससे बहुत नुकसान हुआ है, उसको छोड़ना चाहिए।

(2B/SC-USY पर आगे)

USY-SC/2B/3.30

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: Sir, I want to seek just one clarification from Mr. Javadekar. सर, हम वृक्ष को देवता कहते हैं। हम मानते हैं कि वृक्ष देवता होते हैं तो देवता को हम कैसे काटेंगे?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री प्रकाश जावडेकर) : काटने का मुद्दा नहीं है। जब हम पेड़ लगाते हैं तो पेड़ों को काटना, उनका उपयोग करना, यह भी प्रकृत्ति का ही धर्म है।..(व्यवधान).. यह प्रकृति धर्म है, इसमें कोई गुनाह नहीं है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: See, Parliament is for discussion. Very important points have been raised here. ...(Interruptions)....

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, I have never seen that an ex-Minister is replying on behalf of the Minister. ...(Interruptions)....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No; no. He is not replying on behalf of Minister. He is just intervening. And, he was intervening with my permission.

Very important points have been raised here. Even the Chair has some doubts. For example, as mentioned by Shri Javadekar, the case of sandalwood. It has always wondered me. Sandalwood is grown in some areas of Kerala also. It is a very costly product. Nobody can grow it. One day, I happened to visit a house. They had a sandalwood tree. They told me that they had a sandalwood tree and they had not disclosed it to anybody. Why is it so? If people are allowed to grow it, what's the harm in it? I am not making an observation. I am only raising a doubt.

Now, the next speaker is Shri Pradeep Tamta. टम्टा जी, आपके पास केवल चार मिनट का समय है।

श्री प्रदीप टम्टा (उत्तराखंड) : उपसभापति महोदय, आपने मुझे इस बिल पर बोलने के लिए अनुमति दी, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। सर, मैं इस बिल के विरोध में खड़ा हूं। सर, मैं अभी अपने पूर्व वक्ताओं को सुन रहा था। माननीय जयराम रमेश जी ने जो बात कही, मैं उससे स्वयं को संबद्ध करता हूं। यह बड़े अचम्भे की बात है कि वर्तमान मंत्री और पूर्व मंत्री एक साथ आए हैं। मैं दोनों का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं - आप दोनों पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। मैं देख रहा हूं कि सन् 2014 के बाद पूर्व मंत्री जब यहां पर अपना intervention करने के लिए आए, उसी समय से Forest Act, Forest Conservation Act और तमाम Environmental Acts को dilute करने की मोदी सरकार ने एक सिलसिलेवार कोशिश की है, एक * किया है। दोनों मंत्री कह रहे हैं कि हम bamboo को लगाकर देश के green cover को बढ़ाना चाहते हैं, यह हमारी National Policy है कि पूरे देश के कवर का 33 परसेंट forest cover होना चाहिए। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं कि किसान bamboo बोएगा तो green cover बढ़ जाएगा। मैं जानना चाहता हूं कि आपको किसने रोका है? आप Forest Act में अगर कुछ लाते कि इस समय देश में लगभग 22 परसेंट forest cover है, जो सरकार के कंट्रोल में है, उसको 33 परसेंट

***Expunged as ordered by the Chair.**

करने के लिए आपको किसने रोका है? इस देश के वन के कवर को बढ़ाने के बारे में आप नहीं सोच रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इससे किसानों की income बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ तो आप कह रहे हैं कि इससे वनों का कवर बढ़ेगा। सर, कवर तभी तो बढ़ेगा जब वे वहां सुरक्षित रहेंगे। आप यह क्यों नहीं कहते कि हम प्राइवेट लैंड में किसानों को जबर्दस्ती औद्योगिक, corporate घरानों के हाथों में गिरवी रख देना चाहते हैं? जिस तरह से ब्रिटिश काल में बिहार में किसानों को नील की खेती करने के लिए बाध्य कर दिया गया था, उसी तरह से आज फिर जो agricultural land है, आप उस agricultural land पर bamboo और न जाने कितने commercial trees का plantation करने के लिए कह रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा कि इस देश के agriculture पर उसका क्या असर पड़ने वाला है? आप दो विरोधाभासी बातें मत करिए। आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि इससे green cover बढ़ेगा और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि इससे ट्राइबल्स और किसानों की आमदनी बढ़ेगी। आपका मकसद यह नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ इस देश के corporate घरानों, जिनकी अच्छे दिनों की सरकार आयी है, उनके लिए आप यह करना चाहते हैं। आखिर आप क्या कह रहे हैं? एक तरफ अभी आपने उत्तराखंड के अंदर Eco Sensitive Zone बनाया था।

(2सी-जीएस पर जारी)

PK-GS/2C/3.30

श्री प्रदीप टम्टा (क्रमागत) : आप सुप्रीम कोर्ट तक चले गए कि गंगोत्री की सड़क सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है। वहां पर कौन-सी गंगोत्री में सड़क सामरिक रूप से चीन

की सीमा तक जा रही है? वहां पर देवदार के हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं। आप पिथौरागढ़ के पंचेश्वर में एक बहुत बड़ा, विशालकाय डैम बनाने जा रहे हैं। मैं माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों-लाखों आपकी वन-सम्पदा, biodiversity खत्म होने वाली है, वह डूब रही है? क्या आपने उसका कोई अध्ययन किया है? आपका मंत्रालय है, आपका विभाग है, आपकी जिम्मेदारी है उनकी रक्षा करने की, लेकिन आपने डी.पी.आर. का काम उस कम्पनी को दे दिया, उस विभाग को दे दिया, जो लोगों को उजाड़ना चाहता है। वह वहां का अध्ययन करके आपको बताएगा कि इससे पर्यावरण पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो इंडियन फॉरेस्ट (अमेंडमेंट) बिल, 2017 पास होने जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि यह एक टेस्ट केस है। मैं ग्रास के बारे में सुन रहा हूं, क्या ग्रास कोई छोटा-छोटा पेड़ है? बांस एक प्लांट है, उसकी हाइट नॉर्थ-ईस्ट में एक जंगल की तरह है। यह पेड़ नहीं है, लेकिन प्लांट तो है, जो घास की तरह जमीन में उगने वाला तीन-चार इंच का पौधा है, यह बहुत लम्बी आयु तक जाने वाला पौधा है, जितनी आयु तक सेब का पेड़ जाता है, उतनी आयु तक बांस का पेड़ भी जाता है। आप जंगल में उसको अपनी सर्विस की लेन में सुरक्षित रखना चाहते हैं और किसान की लैंड में वह सुरक्षित नहीं रहेगा, यह सीधा-सीधा मुझे मकसद लगता है कि इस सरकार का एक ही लक्ष्य है कि "सबका साथ, सबका विकास" में ....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Tamta*ji,* one speaker from your party is absent. So, you get two more minutes.

SHRI PRADEEP TAMTA: Thank you, Sir. ...(Interruptions)..

SHRIMATI VIPLOVE THAKUR: Sir, I have also to speak.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Viplove*ji,* I am dividing equally.

श्री प्रदीप टम्टा : मैं यह कहना चाहता हूं कि पूरा का पूरा जो मकसद है इस फॉरेस्ट ऐक्ट में कंट्रोल करने का, इसको dilute करने का, इसके पीछे एक पूरी की पूरी लॉबी पड़ी हुई है।

आज आप फॉरेस्ट ऐक्ट में संशोधन करना चाहते हैं, कल आपकी दृष्टि फॉरेस्ट कंजर्वेशन ऐक्ट को संशोधित करने की होगी कि बड़े-बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान नहीं बन रहे हैं, विकास नहीं हो रहा है। माननीय मंत्री जी बताएंगे कि इसके लिए अध्यादेश लाने की क्या जरूरत थी? मैं समझता हूं कि इसके लिए अध्यादेश लाने की जरूरत नहीं थी। हमारे देश के अंदर जो फॉरेस्ट कवर है, वह अभी तक बढ़ नहीं पाया है। वह बाईस या साढ़े बाईस परसेंट है, उसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार का क्या प्लान है, क्या मंत्री जी अपने जवाब में इसके बारे में बताएंगे? माननीय मंत्री जी ने बताया था कि हम इस बिल के द्वारा देश में ग्रीन कवर को बढ़ाने जा रहे हैं, तो क्या भारत सरकार ने, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इस देश के अंदर साढ़े तीन साल में ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए कोई योजना बनाई है या सिर्फ वह कार्य योजना बनाई है , चाहे आप छत्तीसगढ़ में हों...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay.

श्री प्रदीप टम्टा : चाहे आप ...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Time is over.

श्री प्रदीप टम्टा : आप वनों के अंदर core sector तक में उद्योगपतियों को हस्तक्षेप करने की अनुमति देने जा रहे हैं। पूर्व पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जी के द्वारा एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी, जिसका काम था कि फॉरेस्ट राइट्स ऐक्ट में, वाइल्ड लाइफ ऐक्ट में, कंजर्वेशन ऐक्ट में संशोधन किया जाए। ...(समय की घंटी)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Time is over. Okay.

श्री प्रदीप टम्टा : इसलिए मैं इसके पक्ष में नहीं खड़ा हूं और मैं इस बिल का विरोध करता हूं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: All right.

श्री प्रदीप टम्टा : मैं सदन से भी मांग करता हूं कि उद्योगों और कॉरपोरेट लोगों के हितों के लिए बनने वाले ऐक्ट का पुरजोर विरोध करें। जय हिन्द।

(समाप्त)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Shankarbhai N. Vegad. You have 20 minutes. ...(Interruptions).. No, no. There are only two speakers. I will not accept any further. No more speakers. ...(Interruptions)..

DR. T. SUBBARAMI REDDY: Sir, I have moved the Resolution. I need two minutes.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will give you three minutes. You are demanding two minutes; I am giving you 50 per cent more.

श्री शंकरभाई एन. वेगड़ (गुजरात) : उपसभापति महोदय, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। केन्द्र सरकार गैर -वन क्षेत्रों में बांस की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए भारतीय वन (संशोधन) विधेयक, 2017 को लाई है। इस देश में अगर कोई सबसे ज्यादा आय का हिस्सा है, तो वह खेती ही है। हमारा देश कृषि और ऋषि की परम्परा का देश है। पहले के वन अधिनियम में बांस एक घास होते हुए भी, उसकी व्याख्या में आता था।

(HMS/2D पर जारी)

PB-HMS/2D/3.35

श्री शंकरभाई एन0 वेगड़ (क्रमागत) : इस संशोधन से बांस को घास ही माना जाएगा। महोदय, बांस किसानों के लिए बड़ी आमदनी का स्रोत है। अगर किसानों को बांस की खेती करने का काम मिलता है, तो किसान की आय बढ़ेगी।

महोदय, जो इस का विरोध कर रहे हैं, मैं उन से कहना चाहूंगा कि आप किसानों का विरोध कर रहे हैं। क्या आप किसानों की आय बढ़ाना सही नहीं मानते? मैं यह भी कहना चाहता हूं कि बांस की खेती से सिर्फ किसान की आमदनी नहीं बढ़ेगी, इस से ओ0बी0सी0, एस0टी0, और जंगल में रहने वाले आदिवासी की भी आमदनी बढ़ेगी। पहले बांस आधारित खेती के हिसाब से बांस खेत में बोया जाता था, लेकिन खेत के बॉर्डर पर भी बांस की खेती हो सकती है। हमारे किसान के खेत के बॉर्डर की खाजिल जमीन पर भी बांस की खेती हो जाती है। हिंदुस्तान के हर स्टेट की आबोहवा में बांस की खेती हो सकती है। इसलिए मैं मंत्री जी से मांग करता हूं कि बांस का ऐसा बीज

विकसित किया जाए, जिस में बांस की फसल जल्द-से-जल्द हो जाए और हमारा किसान और खेत मजदूर बेहतरीन तरीके से बांस उगा सके। बांस उन के लिए आमदनी का एक बड़ा स्रोत है और अगर किसान को बांस की खेती करने दी जाएगी, तो उस से उसकी आमदनी बढ़ जाएगी।

महोदय, बांस की बड़ी मांग है। भारत के अलग-अलग प्रदेशों में इस का अलग-अलग उपयोग है। हमारे गुजरात में तो बांस के पिले का अचार और सब्जी भी बनती है। आप गंभीरता से विचार कीजिए कि जब हम जन्म लेते हैं, तब भी बांस का उपयोग होता है और हमारे अंतिम संस्कार में भी बांस का उपयोग होता है। बांस मानव जीवन से हमेशा जुड़ा हुआ है, इसलिए हमारे प्रधान मंत्री मोदी जी और माननीय मंत्री जी यह संशोधन विधेयक लाए हैं, उस से बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा।

महोदय, बांस अनेक तरह के बिजनेस में उपयोग होता है। बांस का उपयोग फर्नीचर बनाने में होता है, सोफा और छोटे-छोटे शेल्फ में बनाने में इस का उपयोग होता है। हरेक पार्टी झंडियों का उपयोग करती है और उन में भी बांस का उपयोग होता है, तो इस का विरोध करने की क्या आवश्यकता है? मेरे कहने का मतलब यह है कि आप इस का विरोध कर के ओ0बी0सी0/एस0सी0 और एसटी0 के विरोधी हैं। महोदय, हिंदुस्तान में ओ0बी0सी0 की आबादी कम-से-कम 55 प्रतिशत है।जब हम ओ0बी0सी0 का बिल लाए थे, जिस में ओ0बी0सी0 के हित की बात थी और पिछले कई सालों से हमारी मांग थी कि ओ0बी0सी0 को बंधान दर्जा मिले, तो हमारे प्रधान मंत्री मोदी साहब ने कैबिनेट से वह प्रस्ताव मंजूर किया और वह लोक सभा से पारित होकर जब राज्य

सभा में आया तो आपने उसे वोटिंग में नामंज़ूर कर दिया। इस सब का क्या मतलब है? महोदय, यह बिल भी ओ0बी0सी0 और एस0टी0 के भले के लिए ही लाया गया है। इस से किसान का तो हित होगा ही, लेकिन किसान के खेत में काम करने वाले खेत मजदूर का भी हित होने वाला है। इस से उस खेत मजदूर को भी रोजगार मिलेगा और उसकी भी आमदनी बढ़ेगी। तो क्या आप यह चाहते हो कि उसे रोजगार नहीं मिले? हम सब उसका हित चाहते हैं। हम तो "सब का साथ, सब का विकास" चाहते हैं। इस में छोटे आदमी और मध्यम वर्ग समेत सभी का विकास चाहते हैं।

इसलिए हम सब को मिलकर इस विधेयक को पास करें, यही मेरी ख्वाहिश है।

उपसभापति जी, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

(2 ई/एएससी पर जारी)

ASC-SKC/2E/3.40

श्री शंकरभाई एन. वेगड़ (क्रमागत) : महोदय, माननीय मंत्री जी जो बिल लाए हैं, मैं इसका समर्थन करता हूं और मैं अंत में एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा।

सर, राजस्थान में एक बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है। इस डिस्ट्रिक्ट का नाम बांसवाड़ा क्यों रखा गया? क्योंकि पहले इस डिस्ट्रिक्ट में सभी जगह बांस की खेती होती थी और वहां की पूरी आबादी बांस की खेती पर निर्भर थी और बांस ही उसकी आजीविका थी, इसीलिए इस डिस्ट्रिक्ट का नाम बांसवाड़ा रखा गया। हमारे गुजरात प्रदेश में एक डांग जिला है। वहां पर भी पूरे डिस्ट्रिक्ट में बांस का जंगल था और बांस की खेती होती थी, इसलिए इसका नाम डांग जिला पड़ा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश के सभी

राज्यों में बांस की खेती हो सकती है। यदि आप इस बिल को पारित करेंगे, तो पूरे देश में जो बेरोजगार लोग हैं, उनको रोजगार मिलने का अवसर मिलेगा, इसलिए इस बिल को पारित किया जाए, ऐसा मेरा विश्वास है, धन्यवाद।

(समाप्त)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you, Shri Shankarbhai Vegad. Now, Shri Tiruchi Siva; Mr. Siva, you have five minutes.

SHRI TIRUCHI SIVA (TAMIL NADU): Sir, the Indian Forest (Amendment) Bill, 2017 has been brought to replace the Indian Forest (Amendment) Ordinance, 2017.

Sir, I wish to emphasize the question raised by my colleagues here. Of course, the Constitution empowers the Government to bring in an Ordinance in times of emergency or when some urgency arises, but as far as this issue is concerned, what was the need for the Government to bring in an Ordinance? Amendment and Ordinance are special provisions provided in the Constitution. Now, no Government can run a Government without bringing in an Ordinance. During the UPA-II regime, the total number of Ordinances that were brought was 25, but within just three-and-a-half years, the present Government has brought 31 Ordinances; there are still one-and-a-half years to go! In 2014, four Ordinances were brought, in

2015, 12, in 2016, eight and in 2017, seven. Now, why should they resort to the Ordinance route without making use of the parliamentary process?

Secondly, Sir, 'Forests' fall in the Concurrent List. Different States have different laws in place and so, before bringing forth this Ordinance, the States should have been consulted, which has not been done so far. This is a very important issue, Sir. This Government, after assuming office, has been trying to encroach upon the rights of the States. We are not prepared to compromise on our rights. The States cannot give up their powers. They say that this Bill has been brought keeping in view the welfare of non-forest farmers. If that be so, the Minister may clarify this point: Some person may cut bamboo growing in a forest area without a permit and take it as his own commodity. What measures would you take to curtail such practices? There would be deforestation. What you want to preserve would actually be lost, because there are many clever people out there who, with the connivance of the forest people, would take away all the bamboo saying that it is their bamboo. How would you help farmers with this law, that too by bringing in this Bill with so much urgency? So, there must be something to read between the lines. When the Parliament is about to convene in

December, why should an Ordinance be brought in the month of November? That is a very big question.

Then, Sir, bamboo vegetation differs from State to State. The topography and geography are well known to the individual States, but they have not been consulted at all. Secondly, Gram Panchayats are the deciding factors in the matter of permits. Their powers are also being taken away.

Sir, there are three issues which worry us. There was no need for an Ordinance. My friend, Dr. Subbarami Reddy, has moved a Statutory Resolution and Shri Jairam Ramesh has questioned the urgency in bringing an Ordinance.

(CONTD. BY HK/2F)

HK/2F/3.45

SHRI TIRUCHI SIVA (CONTD.): Secondly, you have totally ignored the States though the forest is under the Concurrent List. You are taking away the rights of the State again and again, now and then, in everything. Thirdly, you are now usurping the powers of the *Gram Panchayats* also. So, Sir, we are compelled with no other option than to oppose this Bill. Thank you.

(Ends)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Mahendra Singh Mahra; not present. The next is Shri Ananda Bhaskar Rapolu.

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU (TELANGANA): Respected, Deputy Chairman, Sir, as it is being highlighted, the urgency of Ordinance is showing the ulterior motive of the Union Government, even disrespecting the Concurrent List of State Governments. Bamboo is having the spiritual value; bamboo represents cultures; bamboo represents traditions and, at the same time, in the modern times, it is having high commercial value. Though you try to represent the cultures and values in your slogans and arguments, you are just standing with the modern corporate to have the yield of the riverine lands through which you will get bamboo. Earlier, the UPA for ten years, tried to develop the bamboo plantation with the National Bamboo Mission. Have you ever consulted with your Ministry of Agriculture before going for an Ordinance? Have you ever evaluated the utilization of the funds and the enhancement of the funds in these recent three years for the promotion of bamboo? As far as our findings go, there is no encouragement and improvement on the fund supporting part for the National Bamboo Mission. But you are going to treat it as just grass. Yes, in Indian history, in Indian heritage and in Indian livelihood, as in the

livelihood of Asia, grass is having great value. Bamboo is soil carbon enriching clump. Have you ever resorted to clump management? Have you ever evaluated the degradation of riverine lands all across? Take the case of the Yamuna; take the case of the Chambal; take the case of the Godavari; take the case of the Krishna; take the case of the Mahanadi, and even take the case of *Ma* Ganga. You have not bothered to assess the degradation of riverine land. Wherever you have riverine lands, there is a possibility of safe bamboo plantation. Every bamboo clump is having 12-year life. In its 12 years, it will give three tonnes yield. Yes, that is true that we are importing a lot of bamboos from other countries because there is a growing need. For the traditional purposes, our Indian produce will serve. For the modern needs and modern necessities and utilities, yes, you need to import. While you are trying to remove this bamboo from the list of forest trees, have you ever bothered to look at the fact that the UPA Government has treated it as -- and promulgated an Act -- a minor forest produce? Have you not taken care of the ground realities while looking at the bamboo plantation? Through our observations, you have not bothered to look at this fact. But bamboo plantation needs to be looked through the perspective of small

farmers, as you were mentioning. For that, you please don't encourage your Forest Departments.

(Contd. by KSK/2G)

KSK/KLG/3.50/2G

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU (CONTD.): You, please, in consultation with your State Governments, try to evaluate and try to utilise the available Compulsory Afforestation Forest Funds for the proper purposes. Otherwise, they are going to be misused through your Forest Departments and through your *Van Sanrakshan Samitis*, which are posing a very serious problem for the tribal livelihood. Even in Odisha, Andhra Pradesh, Telangana and other parts of the country, our people, the tribal people, are hesitating and they are demanding for giving empowerment only to the Gram Sabhas and not to the *Van Sanrakshan Samitis*, which are having the force and enforcement through the Forest Departments. And, for the bamboo protection, yes, I associate myself with my senior colleague, Shri Jairam Ramesh, and I also appreciate this Statutory Resolution of Dr. T. Subbarami Reddy, and through our observations, we hope that this Government will get enlightened and the Minister will himself look into the ground realities and take back this Bill. Thank you very much, Sir. (Ends)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you very much. This self-discipline is good.

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU: Yes, Sir, that is because of the newly-enforced disciplines.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That's good. Now, the next speaker is Shrimati Viplove Thakur.

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU: She has six minutes.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, because you have left one minute.

श्रीमती विप्लव ठाकुर (हिमाचल प्रदेश): उपसभापति महोदय, यह जो बिल लाया गया है, मुझे लगता है कि एनडीए सरकार की ऑर्डिनेन्स करने की एक आदत बन गई है। जब भी सेशन आने वाला होता है, उससे कुछ दिन पहले कोई न कोई ऑर्डिनेन्स जारी कर देते हैं। इससे यह पता लगता है कि इनको प्रजातंत्र में विश्वास ही नहीं है। ये चाहते ही नहीं हैं कि देश संविधान के मुताबिक चले, इसलिए ये अपनी विल को लागू करने के लिए जबर्दस्ती कुछ न कुछ ऐसा कर देते हैं और ऑर्डिनेन्स ले आते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि यह ऑर्डिनेन्स लाने की क्या आवश्यकता थी? ऐसा कौन सा रीज़न था, कौन सा ऐसा कारण था कि बैम्बू के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए इस तरह से ऑर्डिनेन्स लाया जाय? आखिर यह है क्या? क्या इन्होंने कोई स्टडी की है कि जो आज हमारे यहां बैम्बू हो रहा है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसको किस तरह से बढ़िया बनाया जा सकता है और किस तरह से हम उसको दूसरी मार्केट के साथ कम्पीट कर सकते हैं?

इस पर आपकी कोई रिसर्च है? केवल यही कि किसानों को बेनिफिट देना है, तो वह आप कैसे देने जा रहे हैं? एक किसान के पास कितनी जमीन होनी चाहिए, जिससे वह उसका फायदा उठा सकता है? इस बारे में आपने कोई सोचा है कि कितने हेक्टेयर जमीन एक किसान के पास होनी चाहिए, कितने एकड़ जमीन होनी चाहिए? केवल बिल लाने से या ऑर्डिनेन्स लाने से तो किसानों की आमदनी नहीं बढ़ने लगेगी। आपके तो वायदे बहुत-बहुत थे। कहा गया था कि हम आपकी फसल का इतना परसेंट देंगे। वह वायदा कहां गया? कहां गए वे सारे वायदे? जुमले थे ! यह ऑर्डिनेन्स भी और यह बिल भी इसी तरह से हो जाएगा। क्या आपने पूरे देश में कोई सर्वे कराया है? बिल्कुल ठीक कहा गया है, यह राज्य सरकारों का काम है। आपने क्या हिमाचल प्रदेश में देखा है कि वहां कहां-कहां बेम्बू हो सकता है? हमारे ट्राइबल एरियाज़ में बैम्बू नहीं है। हमारा ट्राइबल एरिया स्नो-बाउंड एरिया है। वहां के किसानों की आमदनी आप कैसे बढ़ाएंगे? उसके लिए आपने कुछ सोचा है? सिर्फ इसलिए कि नॉर्थ-ईस्ट में इलेक्शंस आ रहे हैं, आपने उस तरह से किसानों के लिए बातें करनी शुरू कर दी हैं और जो प्रजातंत्र में हमारी ग्राम सभाएं हैं, जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अगर किसानों के लिए है, तो पूरे देश का आप सर्वे कीजिए कि हमारे फॉरेस्ट का कौन सा प्रोडक्ट है, जो लोगों को फायदा पहुंचा सकता है, किसानों को फायदा पहुंचा सकता है? जैसे हमारे हिमाचल प्रदेश में खैर है, जो हमारे यहां एक कैश क्रॉप है, लेकिन वह भी फॉरेस्ट के अंदर लाई गई है और आज किसान उसका फायदा नहीं उठा सकते। उससे कत्था बनता है। उनके अपने खेतों में जो खैर लगाए हैं, उनको भी वह

नहीं बेच सकते हैं। क्या आपने इस बारे में सोचा है? आप बात कर रहे हैं, साल में कितने वन-महोत्सव होते हैं? वन लगाने के लिए, पेड़ लगाने के लिए कितने करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं?

(2एच/एकेजी-जीएसपी पर जारी)

AKG-GSP/2H/3.55

श्रीमती विप्लव ठाकुर (क्रमागत) : वन लगाने के लिए, पेड़ लगाने के लिए अखबारों में समाचार आ जाता है कि इतने लाख पेड़ लगाए गए, लेकिन क्या कभी आपने यह जानने की कोशिश की है कि उनमें से कितने survive हुए हैं? क्या आपने कभी देखा है कि वे पेड़ कहाँ लगाए गए? कहाँ गए वे पैसे, कहाँ गए वे पेड़, कहाँ गए वे पौधे? केवल इस तरह कहने से काम नहीं बनता है।

मैं यह कहना चाहूँगी कि आप यह जो बिल लाए हैं, बिल्कुल गलत लाए हैं। यह बिल आप सिर्फ इसीलिए लाए हैं कि इससे कुछ लोगों को, चंद लोगों को फायदा हो सके। इसके बारे में कोई स्कीम नहीं है। इसके by-products के लिए आपने कोई प्लान नहीं बनाया है। केवल कहने से किसानों की आमदनी नहीं बढ़ेगी। आपने बहुत कुछ कहा, लेकिन आज भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं, आज भी वे कर्ज में डूबते जा रहे हैं। इसलिए हम लोग इस बिल का समर्थन नहीं कर सकते। आपको इसके लिए सभी स्टेट्स को confidence में लेना चाहिए था, उनसे बात करनी चाहिए थी। आप federal system को खत्म करते जा रहे हैं, आप हर बात को centralize करते जा रहे हैं और यह भी उसी का नतीजा है। आपको देखना चाहिए, आपको ordinance लाने से

पहले इसके बारे में पूरा survey करना चाहिए। कुछ लोगों के फायदे के लिए, कुछ वोटों की खातिर आप इस तरह से कानून बना रहे हैं। आप जिस तरह से बातें कर रहे हैं, उससे किसानों को फायदा नहीं होगा, बल्कि बड़े-बड़े लोगों को फायदा होगा। क्या आपने जमीन का कुछ survey किया कि कितनी जमीन चाहिए, जिससे एक किसान को bamboo लगाने से फायदा हो सकता है? मेरे एक भाई ने ठीक कहा कि क्या आप subsidy देंगे, अगर वह 3-4 साल तक अपनी खेती बंद कर देता है और bamboo लगा देता है? क्या आप उसे कुछ देंगे? इस तरह से आप लोगों को गुमराह मत कीजिए। किसान पहले भी आपके हाथों से बहुत ज्यादा सताए गए हैं, और गलत सपने दिखा कर, गलत बातें बता कर आप उन्हें और तंग मत कीजिए। आप उनको गुमराह मत कीजिए, आप उनको सही रास्ता बताइए। हमारे यहाँ खैर के लिए मैंने अभी-अभी कहा है कि आप उसके लिए भी बिल लाइए, उसके लिए भी amendment लाइए, जिससे वे लोग उसका फायदा उठा सकें। खैर का पेड़ 20-25 साल के बाद खत्म हो जाता है। उसके लिए नहीं सोचा गया है। अगर आप किसान के भले के लिए कुछ करना ही चाहते हैं, तो आप कुछ प्रदेशों के बारे में मत सोचिए, पूरे देश के किसानों के बारे में सोचिए।

इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगी कि यह एक बहुत गम्भीर मसला है। इसे ordinance लाकर या बिल लाकर majority के support से पास करने की जिद मत कीजिए। इसलिए हम अपनी पार्टी की तरफ से इसका विरोध करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। (समाप्त)

श्री राम विचार नेताम (छत्तीसगढ़) : उपसभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।

उपसभापति महोदय, मैं तब से सुन रहा हूँ, जब से इस बिल के बारे में चर्चा शुरू हुई है। तब से लगातार बाँस के सम्बन्ध में लोगों ने चर्चा की और इसे ट्राइबल्स से जोड़ कर देखा जा रहा है। आदिवासियों की आय को बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से लोगों ने अपना वक्तव्य दिया कि यह विरोधी है, असत्य है और यह संशोधन लाने से नुकसान होने वाला है, मैं समझता हूँ कि वे जमीनी हकीकत को नहीं समझ रहे हैं।

उपसभापति महोदय, मैं खुद एक ट्राइबल हूँ और मुझे मालूम है कि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से लेकर हमारे मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, ये जो ट्राइबल बहुल स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स में लोग बाँस का बेहतर उपयोग करते हैं। उसका धार्मिक महत्व भी है, सामाजिक रीति-रिवाज में भी उसका उपयोग होता है और लोगों के आर्थिक उन्नयन और उनके विकास के लिए भी बाँस से उत्पादित जो वस्तुए हैं, जब वे मार्केट में आती हैं, तो उसका एक बहुत अच्छा उपयोग होता है और उससे आय में बढ़ोतरी होती है। उपसभापति महोदय, मैं समझता हूँ कि आदरणीय जयराम रमेश जी और डी. राजा जी ने जिस प्रकार से यहाँ comment किया, मैं समझता हूँ कि दूध का जला हुआ छाछ भी ये लोग पी रहे हैं।

(2जे/एससीएच पर जारी)